न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

पु.न. 06/2021

उनवान

1. मंगला पुत्र सोहन
2. बनवारी पुत्र सोहन

समस्त जाति दरोगा, निवासी ग्राम धाना का बास, पटवार हल्का सान्दरसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर ।

--प्रार्थीगण/अपीलान्ट्स

बनाम

1. विदामी पत्नि भूरामल
2. बनवरीलाल पुत्र भूरामल
3. समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम धानाकाबास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर ।
5. भारतीय स्टेट बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा कालाडेरा, जिला जयपुर।

--प्रत्यर्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स--

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 23 दिनांक 09.11.2004 ग्राम पंचायत सान्दरसर अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट

निर्णय दिनांक 10/11/2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट्स की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स वाके ग्राम धानाकाबास, तहसील चौमूं जिला--जयपुर के निवासी है। जिनकी ग्राम धाना का बास मे खातेदारी काश्त की भूमि है। जिसमे से खसरा नम्बर 20 रकबा 1.13 हैक्टेयर कि प्रार्थीगण अपीलान्ट्स के खातेदारी काश्त की भूमि थी। जिसमें अपीलान्ट्स का हिस्सा 110/113 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का हिस्सा 3/113 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज था। अपीलान्ट्स का हिस्सा 110/113 का 1/4 भाग यानि 110/452 भाग का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक मे दिनांक 07.10.2004 को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र से बेचान किया गया था। जिसका पंजियन उपंजीयक चौमूं के पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 167 मे पृष्ठ संख्या 15 क्रम संख्या 2004003727 पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 447 के पृष्ठ संख्या [illegible] पर [illegible] गया। जिसके आधार पर हल्का पटवारी ने नामान्तकरण संख्या 23 दिनांक [illegible] जिसके कॉलम संख्या 16 मे निम्न इबारत अंकित कि "श्रीमान् [illegible] मंगला, बनवारी पि0 सोहन दरोगा ने अपने हिस्सा 110/113 मे से हिस्सा 1/4 का बेचान विक्रय पत्र द्वारा श्रीमति विदामीदेवी को कर दिया, विक्रय पत्र के मुताबिक नामान्तकरण दर्ज कर उचित निर्णय हेतु सेवा मे पेश हैं" जिसके पश्चात् गिरदावर हल्का द्वारा मुतबिक जमाबन्दी के अंकन दुरस्त है कि रिपोर्ट दिनांक 09.11.2004 को की गई, जो दिनांक 09.11.2004 को सरपंच ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.20 10:54:25 IST
Reason: SelfAttested

10/11/21

Scanned with CamScanner

पंचायत सान्दरसर द्वारा स्वीकार किया गया। तथा कॉलम संख्या 9 मे श्रीमती बिदामीदेवी धर्मपत्नि श्री भूरामल यदव, जाति अहीर सा0 देह हिस्सा 110/452 शेष हिस्सा 330/452 बदस्तुर दर्ज किया गया था। नामान्तकरण संख्या 23 स्वीकार होने के बाद पटवारी हल्का ने कटिंग कर हिस्सा 440/452 दर हिस्सा 110/113 शेष बदस्तुर दर्ज कर दिया। जिसके मुताबिक जमाबन्दी मे अपीलान्ट संख्या 1 हिस्सा 165/12769 अपीलान्ट संख्या 2 का हिस्सा 165/12769 व रेस्पाडेन्ट संख्या 1 हिस्सा 12100/12769 दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार हल्का पटवार ने कॉलम संख्या 9 मे कटिंग कर गलत हिस्सा नामान्तकरण स्वीकृत होने के बाद दर्ज किया। वर्ष 2018 मे अपीलान्ट्स ने बैंक मे लोन के लिए आवेदन किया तो बैंक वालो ने बताया कि तुम्हारे नाम 0.028 जमीन है। हमने कहा कि हमारे नाम सवा तीन बीघा से अधिक है तब उन्होंने कहा कि रिकार्ड मे तो नही है। फिर हमने ओर लोगो को देखाया तो उन्होने भी इस बात का ही समर्थन किया, जिसके बाद पुराना रिकार्ड निकलवाया तो दिनांक 20.08.2019 को जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 मे रकबा स्पष्ट करते हुए नकल दी, जिससे स्पष्ट हुआ कि रकबा कम दर्ज हैं, जिसके पश्चात् उप तहसीलदार गोविन्दगढ को हिस्सा दुरस्थ करवाने का निवेदन किया, जिस पर हल्का पटवारी ने दिनांक 05.03.2021 को जांच कर रिपोर्ट की नामान्तकरण मे अशुद्धि/ त्रुटि हुई है। जिसके पश्चात् लोक डाउन लग गया। जिसमे रिपोर्ट की जानकारी नही हुई। जिसके पश्चात अब तक की कार्यवाही के लिए आवेदन किया, जिसकी नकल दिनांक 18.06.2021 को प्राप्त हुई। जिसके पश्चात् उपतहसीलदार गोविन्दगढ के नामान्तकरण संख्या 23 के लिए आवेदन किया तो ऑफिस कानूनगो ने कहा कि नामान्तकरण मिल नही रहा है। अभी तलाश कर रहा हूँ। जिसके बाद दिनांक 15.07.2021 को ऑफिस कानूनगो ने मना कर दिया कि अभी हमारे पास नामान्तकरण जमा नही हुआ है और हल्का पटवारी से सम्पर्क करो फिर हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी सान्दरसर दिनांक 19.07.2021 को नकल दी। जिससे नामान्तकरण संख्या 23 के विरूद्ध अपील निम्न प्रकार से पेश है :-

1. ग्राम पंचायत द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 के हक मे तस्दीक किया गया नामान्तकरण सं. 23 दिनांक 09.11.2013 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

2. नामान्तकरण संख्या 23 मे हल्का पटवारी द्वारा नामान्तकरण भरने के पश्चात् तथा ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक करने के पश्चात काटछाट कर गलत हिस्सा दर्ज कर दिया। जिसका की कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था तथा अधिकार के विपरित जाकर जानबूझकर कांट छाट कर गलत हिस्सा दर्ज किया गया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है।

3. ग्राम पंचायत सान्दरसर द्वारा अपीलान्ट्स के नामान्तकरण संख्या 23 को स्वीकार करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही नामान्तकरण तस्दीक किया गया। जो नामान्तकरण संख्या 23 निरस्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.20 10:54:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अतः अपील मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् जी से निवेदन है कि अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत सान्दरसर द्वारा वाके ग्राम सान्दरसर, तहसील चौमू, जिला जयपुर में स्थित आराजीयात् में तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 23 दिनांक 09.11.2004 को निरस्त किया जावें।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। पत्रावली आज प्रशासन गावों के संघ अभियान कैम्प कोर्ट सान्दरसर में पेश हुई। अपीलान्ट्स स्वयं जरिये अधिवक्ता उपस्थित है। रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अधिवक्ता अपीलान्ट्स की बहस सूनी गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। हस्तगत अपील में न्यायालय का यह अभिमत है कि अपील मियाद अन्तर्गत है व यह स्पष्ट है कि नामान्तकरण के समय अपीलांट ने किसी प्रकार की लिखित सहमति नही दी थी। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 23 दिनांक 09.11.2004 निरस्त करने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 23 दिनांक 09.11.2004 निरस्त किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में इस आधार पर किए गए समस्त पश्चातवर्ती अंकन शून्य व बेअसर घोषित किए जाते है। इस आश्य का अंकन जमाबंदी मे हो। नामान्तकरण संख्या 23 दिनांक 09.11.2004 रिमाण्ड किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण दर्ज कर हितबद्ध पक्षकारों को विधि द्ववारा स्थापित प्रकिया अपनाते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का अपील अवधि व्यतित होने के पश्चात 2 माह में निरस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 10/1/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राहुल जैन
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.20 10:54:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner